

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 54/2018

दिनांक:- 15-5-2018

घाटा 53 RTA


:: निर्णय / डिकी ::

श्री रत्नलाल शंकरलाल शं रामा 2/3 द्विव. देवीलाल शं इक्की 43

सह खातेदारों ने न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत केम्प दामडी में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहखातेदारों द्वारा ग्राम न्यागांव दामडी की जमाबंदी संवत् 2071-74 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति तथा बटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान को दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्से को पृथक -2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं मू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट ली गई। एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारों की अमिशा की गई।

ग्राम न्यागांव दामडी पटवार हल्का दामडी की जमाबंदी संवत् 2071-74 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 65 नया 42 पुराना खसरा नं० 33
936/728 योग किता 2 योग रकबा ?
02 बीघा 17

बिस्वा में श्री रत्नलाल शंकरलाल शं रामा 2/3 द्विव. देवीलाल शं इक्की 43 सहखातेदार है। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम न्यागांव दामडी के खाता नं० 65 नया 42 पुराना के खसरा नं० 33, 936/728 योग किता 2 योग रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा का सहखातेदारों के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय / डिकी की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल-दरामद की कार्यवाही करे। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।


उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर


को दामडी